

उनवान:- राकेश बनाम जयेश
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नांक	फर्द अहकाम
15/24	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>
29/24	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अप्रार्थी नं० 1 बगा० 4 के नोटिस तामील स्कं व परिवारको से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वारंते दिनांक 26.6.2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">(सुनीता मीना)</p>
26/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 बगा० 4 के नोटिस तामील गत पेशी पर स्कं व परिवारको से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबजूद सूचना कोई उप नहीं हुआ। इसलिए इक्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वारंते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">(सुनीता मीना)</p>
22/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। वारंते बहस हेतु दिनांक 27.8.24 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">(सुनीता मीना)</p>

22/42-45
1-5-24



दिनांक	फर्द अहकाम
२७९ २५	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। बटस हेतु समय चला। समय दिया गया। वास्ते बटस दिनांक २०.१.२५ को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">(९)</p>
२० २५	<p>ब्राह्मी वकील/वकील समय पक्ष उपस्थित फैदागीन अधिकारी ... वकील है। ...नुसार दिनांक २०.१.२५</p> <p style="text-align: center;">✍</p>
६.११.२५	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित बटस हेतु समय चला। समय दिया गया। वास्ते बटस दिनांक ६.११.२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">✍</p>
<p>६.११.२५ Not Pord (२)</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील को उपस्थित है। आदेशिका पर इस बाबत इजाजत की पत्रावली के मध्यम से नामा श्रेणी है। उस प्रतीवापन बाल्यापी निवेद्याता को को बड़ी चलाया चाहे है। इसलिए प्रार्थनापत्र बाल्यापी निवेद्याता नोटिफिकेशन में स्वयं की जा भाल है। पत्रावली के बावत मा उप बटस के कम-कट इतिहास उपर है।</p> <p style="text-align: right;">✍</p>